<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा.सं. 06/07/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल,जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग,नई दिल्ली -110001

दिनांक: 28 मार्च, 2024

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>
मामला सं. एडी (ओआई)-07/2024

विषय : चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विटामिन- ए पामिटेट" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. फा. सं. 06/07/2024- डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, पीरामल फार्मा लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" के रूप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दाखिल की है जिसमें चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विटामिन-ए पामिटेड" (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध वस्तु" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग की है ।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आयात के कारण हो रही है और उसने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद विटामिन- ए पामिटेट है, जिसमें विटामिन ए पामिटेट 1.7 एमआईयू/ जीएम और विटामिन ए पामिटेट 1.0 एमआईयू/ जीएम दोनों अपने सभी गुणों और रूपों में स्थायीकरण के साथ या इसके बिना शामिल हैं। हालांकि केवल सांद्रता में भिन्नता से, विटामिन-ए पामिटेट 1.7 एमआईयू / जीएम और विटामिन-ए पामिटेट 1.0 एमआईयू / जीएम एक ही अंतिम उपयोग के साथ उत्पाद के उप-प्रकार हैं और तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य भी हैं।

4. पीयूसी के दायरे में विटामिन-ए पामिटेट 1.6 एमआईयू/जीएम शामिल नहीं है, जिसका उपयोग जानवरों के उपभोग के लिए किया जाता है और पीयूसी की तुलना में अलग-अलग अंतिम उपयोग हैं।

5. याचिकाकर्ता ने कहा है कि पीयूसी का उपयोग खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन और दवा उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मध्यवर्ती उत्पादों में किया जाता है। भारत में संबंधित वस्तुओं का आयात सामान्यतः अधिनियम की अनुसूची-I की टैरिफ मद 29362100 के अंतर्गत किया जाता है। तथापि, पीयूसी का आयात टैरिफ मदों 29362290, 29362800, 29369000, 29362690 और अधिनियम की अनुसूची-I के 29362990 के अंतर्गत भी किया गया है। उत्पाद का सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. वर्तमान जांच के पक्ष विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं और जांच शुरू होने के 15 दिनों के भीतर पीसीएन (औचित्य के साथ), यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के समान वस्तु हैं। यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं तकनीकी विनिर्देशों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के साथ तुलनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा

उत्पादित सबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित संब्द्ध वस्तुओं के लिए 'समान वस्तु' माना जाता है।

ग. **घरेलू उद्योग और आधार**

8. आवेदन पीरामल फार्मा लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि उसने पीओआई के दौरान न तो किसी भी संबद्ध देश या किसी अन्य देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही यह संबंद्ध देशों के किसी निर्यातक और भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातकों से संबंधित है।

9. रिकॉर्ड में दी गई जानकारी से, आवेदक भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का 100% हिस्सा है। तदनुसार, आवेदक प्रथम दृष्टया एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 2(बी) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करता है, और याचिका प्रथम दृष्टया एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 5(3) के संदर्भ में खड़े होने की आवश्यकता को पूरा करती है।

घ. **संबद्ध देश**

10. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड हैं।

ङ. **जांच की अवधि**

11. प्राधिकारी ने जांच की अवधि ("पी ओ आई") के रूप में 1 अक्टूबर, 2022 से 30 सितंबर, 2023 (12 माह) की अवधि पर विचार किया है । क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल,2020 से 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 और जांच की अवधि शामिल है ।

च. **कथित डंपिंग का आधार**

क. **सामान्य मूल्य चीन जन. गण.**

12. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दिखाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, आवेदक ने अनुरोध किया है कि वे सामान्य मूल्य के उद्देश्य के लिए कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए, आवेदक ने सर्वोत्तम

उपलब्ध जानकारी के आधार पर उत्पादन की लागत का विधिवत समायोजन करके और तर्कसंगत मार्जिन के साथ चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया है । प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के उद्देश्य से, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदक के दावे को स्वीकार कर लिया है।

ख. सामान्य मूल्य यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड

13. आवेदक ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड के घरेलू बाजारों में संबद्ध उत्पाद की कीमत के प्रमाण प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। हालांकि, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड के घरेलू बाजारों में कोई उचित, प्रामाणिक सौदा-वार बिक्री मूल्य उपलब्ध नहीं था। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि यह यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड से निर्यात किए जाने पर संबद्ध वस्तुओं की प्रतिनिधिक कीमतों के संबंध में डेटा एकत्र करने में भी असमर्थ था। इस प्रकार से, आवेदक ने घरेलू उद्योग की लागत पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को जोड़ने के बाद विधिवत समायोजित करके विचार करते हुए उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया है।

14. प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के उद्देश्य से, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदक के दावों को स्वीकार कर लिया है।

ग. निर्यात कीमत

15. डीजी सिस्टम्स डेटा में सूचित किए गए सीआईएफ मूल्य पर विचार करके संबद्ध वस्तुओं के निर्यात मूल्य की गणना की गई है। आवेदक द्वारा किए गए दावे के अनुसार समुद्री भाड़ा, हैंडलिंग प्रभार, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभार और ऋण लागत और कमीशन/ वितरण मार्जिन के संबंध में मूल्य समायोजन किए गए हैं।

घ. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

17. आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष वृद्धि, कीमत कटौती और कीमत ह्रास के परिणामस्वरूप हुई क्षति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। आवेदक ने दावा किया है कि पाटित किए गए आयात की प्रतिकूल मात्रा और मूल्य प्रभाव के कारण, नकदी लाभ, लाभ और निवेश पर आय के संबंध में इसके प्रदर्शन में गिरावट आई है। पाटनरोधी जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, और प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क के अनुसार, प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए जांच शुरू करते है, जिसे यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. प्रक्रिया

19. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई मेल पतों-jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in के माध्यम से भेजे जाने चाहिए जिनकी प्रति adv11-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का

वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ /एमएस वर्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

21. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जो संबद्ध वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे सभी संबंधित दस्तावेज दाखिल कर सकें। इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जानकारी। ऐसी सभी जानकारी इस आरंभिक अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।

22. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस आरंभ अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुतीकरण इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर कर सकता है।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जांच के लिए अपने अनुरोधों को प्रासंगिक बना सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य पक्षों को उसी का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना आवश्यक है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को नियमित रूप से व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) पर जाने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि वे जानकारी के साथ-साथ जांच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

ट. समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के आवेदन के अगोपनीय अंश को परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई मेल पतों-jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in के माध्यम से भेजे जाने चाहिए जिनकी प्रति adv11-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम

की व्याख्या के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेज मांगने की सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त मानी जाएगी जिस दिन इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया था। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि वे वर्तमान मामले में अपने हितों (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।

28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए डीजीटीआर की आधिकारिक वेबसाइट https://dgtr.gov.in पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को नियमित रूप से डीजीटीआर की वेबसाइट (https://dgtr.gcv.in/) पर जाने का निर्देश दिया जाता है ताकि उन्हें संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/ बैठक अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचनाओं के बारे में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिस के बारे में जानकारी रहें। यह सुनिश्चित होगा कि संबद्ध जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकार संबद्ध जांच से संबंधित प्रगति और जानकारी से अच्छी तरह अवगत रहें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करता है या जानकारी प्रदान करता है, उसे नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के संदर्भ में ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण उत्तरों/अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है ।

30. प्रश्नावली उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्ट/ उसके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को अलग-अलग गोपनीय और अगोपनीय पाठ दाखिल करना आवश्यक है।

31. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

32. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/ या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भररहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है । अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है ।

34. हितबद्ध पक्षकार आवेदन के अगोपनीयअंश के परिचालन की तारीख के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।

35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

36. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना या पर्याप्त और पर्याप्त कारण के विवरण के बिना या गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के बिना किया गया कोई भी प्रस्तुतीकरण प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

37. प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को अपने प्रस्तुतीकरण/प्रतिक्रिया/जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण ईमेल करें। प्रस्तुतियाँ/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पैरी को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इंकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी